

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2851

17 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

नए इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाना

2851. श्री मो. नदीमूल हक:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विनिर्माण संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.एम.) ने समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों की पहचान की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक क्षेत्र के नए इस्पात संयंत्र स्थापित किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावित/निर्माणाधीन/ पहले से निर्मित संयंत्रों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता तथा इनके स्थान सहित संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): वर्ष 2025 तक 300 एमटीपीए इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 09.07.2013 की अपनी बैठक में देश में बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की अवधारणा का सुझाव दिया था। इस प्रकार के एसपीवी को विकसित करने के लिए चार खनिज संपन्न राज्य नामतः छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक की पहचान की गई है।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते इस्पात संयंत्रों की स्थापना संबंधी निर्णय निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तिगत इस्पात उत्पादकों द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।